सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2018 (प्रा.प. विविध)
RCMS NO: 2018/00018

अनवान

1. श्री लेहरसिंह पिता सरदार सिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा, तह. मावली, जिला उदयपुर
2. मृतक श्री उंकार सिंह पिता सरदार सिंह राजपूत के बजाय–

   2/1 श्रीमती बेबी कुंवर बेवा स्व. श्री उंकार सिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा।

   2/2 श्री कानसिंह पिता स्व. श्री उंकार सिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा।

   2/3 श्री भेरूसिंह पिता स्व. श्री उंकार सिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा।
3. मृतक श्री निर्भयसिंह पिता सरदार सिंह राजपूत के बजाय–

   3/1 श्रीमती मोती कुंवर बेवा स्व. श्री निर्भयसिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा।

   3/2 श्री बाबूसिंह पिता स्व. श्री निर्भयसिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा।

   3/3 श्री हरिसिंह पिता स्व. श्री निर्भयसिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा।

   3/4 श्री महेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री निर्भयसिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा।

   3/5 श्रीमती नारायण कुंवर पिता स्व. श्री निर्भयसिंह राजपूत, पत्नी श्री निर्भयसिंह चौहान, निवासी मानखण्ड़, तहसील मावली।

   3/6 श्रीमती गीता कुंवर पिता स्व. श्री निर्भयसिंह राजपूत, पत्नी श्री वाघसिंह झाला, निवासी झालों का ढाणा, तहसील मावली।
4. श्री नवलसिंह पिता सरदार सिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा, तह. मावली, जिला उदयपुर
5. श्री भंवरसिंह पिता लेहरसिंह राजपूत, निवासी बांगरोदा, तह. मावली, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मृतक श्री पन्ना पिता खेमा नाई के बजाय–

   1/1 श्रीमती राधीबाई पत्नी स्व. श्री पन्ना नाई, निवासी बांगरोदा, तह. मावली।

   1/2 श्री बाबूलाल पिता स्व. श्री पन्ना नाई, निवासी बांगरोदा, तह. मावली।

   1/3 श्रीमती सुगना पुत्री स्व. श्री पन्ना नाई, पत्नी गोटू नाई, निवासी कुंतवास, तहसील वल्लभनगर।

   1/4 श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री पन्ना नाई, पत्नी स्व. रामचंद्र नाई, निवासी रेवलीया खुर्द, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ।

   1/5 श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री पन्ना नाई, पत्नी उदा नाई, निवासी भाटोली गुजरान, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ।

   1/6 श्रीमती शांति पुत्री स्व. श्री पन्ना नाई, निवासी मण्ड़प, तहसील मावली।

   1/7 श्रीमती कमला पुत्री स्व. श्री पन्ना नाई पत्नी बाबूलाल नाई, निवासी धनेरीया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

   1/8 श्रीमती समन्दी पुत्री स्व. श्री पन्ना नाई पत्नी लोगर नाई, निवासी कुंतवास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

2. राज्य जरिये उप जिलाधीश वल्लभनगर।
3. श्री हेमेन्द्र सिंह पिता किशनसिंह सांखला, निवासी सांकरियाखेड़ी, तहसील मावली।
4. श्री शंकरलाल पिता चुन्नीलाल अहीर, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
5. श्री फतहलाल पिता श्री मोहनलाल मेनारिया, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सपठित धारा 151 दिवानी प्रक्रिया संहिता

*** निर्णय ***

दिनांक 04-07-2018

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण मे प्रकरण संख्या 14/1999 आवंटन निरस्ती निर्णय दिनांक 19.04.2000 मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी संख्या 1043 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का दिनांक 30.10.1977 को विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्ती कर भूमि को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये। न्यायालय के उक्त आदेश मे सहवन से आराजी संख्या 1181/1042मी. की जगह आराजी संख्या 1043 टाईप होने से आदेश की पालना नहीं हो सकी।

आदेश की पालना न होने के कारण प्रार्थी संख्या 1, 4 एवं 5 तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के विधिक वारिसानों द्वारा न्यायालय हाजा मे एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सपठित धारा 151 दि.प्र.स. का प्रस्तुत कर मूल आदेश मे सहवन से हुई टंकण त्रुटि की शुद्धि चाही गई। न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2010 प्रा.प. विविध निर्णय दिनांक 21.08.2012 से प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र इस खारिज कर दिया गया की ''विपक्षीगण को आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार मिल जाने से एवं भूमि आगे से आगे हस्तान्तरित हो जाने से सारी परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी है इस कारण 152 सी.पी.सी. के आधार पर मूल निर्णय दिनांक 19.04.2000 मे संशोधन किया जाना संभव नहीं हैं।''

न्यायालय हाजा के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण द्वारा निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल राज. अजमेर मे प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल के प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/7990/2012/उदयपुर निर्णय दिनांक 23.03.2017 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.08.2012 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगणो की निगरानी को स्वीकार करते हुए प्रकरण मे पुनः इस आशय से प्रतिप्रेषित किया गया है कि ''धारा 152 सीपीसी के अन्तर्गत निर्णय या किसी आदेश आदि में हुई लिपिकीय भूल को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में निर्णय दिनांक 19.04.2000 के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन होने के आधार पर निर्णय में दुरूस्ती से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय को धारा 152 सीपीसी के परीपेक्ष्य में ही प्रकरण को देखकर आदेश पारित करना चाहिये था। चुंकि निर्णय में हुई लिपिकीय भूल को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं।''

प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेश हुआ। प्रकरण में उपलब्ध आदेशो का गहन अध्ययन किया गया। न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/99 निर्णय दिनांक 19.04.2000 के अन्तिम पेरा में टंकण त्रुटी से आराजी संख्या 1181/1042मी. के बजाय 1043 अंकित हो गया। जिसके कारण न्यायालय आदेश की पालना आज दिनांक तक नही हो सकी हैं। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्ड़ल, राज. अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2017 की पालना मे इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/99 निर्णय दिनांक 19.04.2000 के अन्तिम पेरा में आराजी संख्या 1043 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा के स्थान पर आराजी संख्या 1181/1042मी. रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं एवं आराजी संख्या 1043 के स्थान पर 1181/1042मी. पढा जावें। मूल आदेश दिनांक 19.04.2000 में भी इस संशोधन आदेश का लाल स्याही से नोट लगाया जावें।

मूल आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मावली को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
उदयपुर